फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री अरविन्द पिता चन्द्रमल बडाला जैन, निवासी मैन चौपाटी, कांकरोली, जिला राजसमन्द
—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 38/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 24.08.2021

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( ) सू0अ0,05/2021/690—691 दिनांक 03.08.21 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 09.03.2021 सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस अनुभाग को 09.03.2021 को प्राप्त हुआ हैं। आरटीआई आवेदन से चाही गई सूचना आयुक्त नगर परिषद राजसमन्द की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक 349—50 दिनांक 10.03.2021 संबंधित विभाग को अन्तरण कर प्रार्थी को प्रासंगिक पत्र से ही सूचित किया गया। आयुक्त नगर परिषद राजसमन्द द्वारा प्रार्थी के आरटीआई आवेदन 09.03.2021 से प्रार्थी को सूचित कराते हुए इस अनुभाग को जरिये पत्रांक 52 दिनांक 17.03.2021 से प्रति प्रेषित की गई जिसमें आयुक्त द्वारा पत्र में वर्णित किया गया कि प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना तृतीय पक्ष से संबंध रखती हैं। तृतीय पक्ष सूचना का संबंध लोकहित में नही होने से प्रदान नही किये जाने का विनिश्च्य किया गया। प्रथम अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में कार्यालय के प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग से भी सूचना के संबंध में जवाब लिया गया। प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा भी जरिये पत्रांक 1474 दिनांक 02.08.2021 से चाही जा रही वांछित सूचना इस अनुभाग के अभिलेख पर उपलब्ध नही होना बताया गया। प्रार्थी के आरटीआई आवेदन दिनांक 09.03.2021 से चाही जा रही सूचना के सबंध में आयुक्त नगर परिषद राजसमन्द द्वारा प्रार्थी को स्पष्ट व सटीक सूचना से जरिये पत्रांक 52 दिनांक 17.03.2021 से सूचित कराया जा चुका हैं। प्रार्थी के द्वारा जो सूचना चाही जा रही है वह इस कार्यालय के अभिलेख पर भी नही हैं, साथ ही प्रार्थी को अपने आरटीआई आवेदन पर आयुक्त, नगर परिषद राजसमन्द के विनिश्च्य के विरूद्व अध्यक्ष नगर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

परिषद राजसमन्द के यहा प्रथम अपील नियमानुसार प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना था किन्तु प्रार्थी द्वारा इस प्राधिकरण में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है जो ग्राही नही हैं। वर्णित तथ्यों के मध्यनजर उक्त अपील सुनने का क्षैत्राधिकार भी इस प्राधिकरण में निहित नही हैं। अतः प्रथम अपील खारीज करना फरमावें।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार वांछित सूचना अभिलेख पर उपलब्ध नही होने तथा उक्त अपील सुनने का क्षैत्राधिकार इस प्राधिकरण में निहित नही होने से उक्त अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

कार्यालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)